निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न0 75 /प्रा0पत्र/20

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉपारेशन लि0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी शाखा कार्यालय रतन श्री कॉम्पलेक्स, पेट्रोल पम्प के पास,मैन मार्केट झालरापाटन ..... प्रार्थी(प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

01. श्रीमति रतनबाई पत्नी देवीलाल
निवासीः– 352, राड़ी के बालाजी रोड़, वार्ड न0 21, झालावाड़ (ऋणी)
02. देवीलाल आ0 उदयलाल
निवासीः– 352, राड़ी के बालाजी रोड़, वार्ड न0 21, झालावाड़
03. नन्दकिशोर आ0 उदयलाल
निवासीः– 352, राड़ी के बालाजी रोड़, वार्ड न0 21, झालावाड़ (सह ऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और

–: निर्णय :– दिनांकः 22.10.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा कम्पनी से 4,33,332/–रू. (अक्षरे चार लालख तैंतीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) का ऋण लिया गया था । अप्रार्थी ने उक्त ऋण मय ब्याज के भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे देवीलाल पुत्र उदय के नाम से ग्राम मालीपुरा में खसरा न0 400/225 स्थित प्लाट न0 14 ए सुदामा नगर, झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 31.01.2020 को व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया । अप्रार्थी के खाते में दिनांक 31.01.2020 तक शेष व देय बकाया 4,74,084/–रूपये (अक्षरे चार लाख चोहत्तर हजार चौरासी मात्र) वसूली योग्य होने व उसका भुगतान नही करने पर प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस भी प्रेषित किये गये जिसकी प्राप्ति के बाद भी देय राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नही किया गया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थी द्वारा बैंक के पास रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विकय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्रार्थी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नही है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नही करने पर दिनांक 31.01.2020 को व्यक्तिकम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है, ऋणी के विरूद्ध रूपये 4,74,084/–रूपये (अक्षरे चार लाख चोहत्तर हजार चौरासी मात्र) दिनांक 31.01.2020 तक तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरोक्तानुसार मांग की गई है, उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है । ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नही किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नही किये जाने पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहतं जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पति को बेंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है– बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्तानुसार प्रा0पत्र के सलंग्न शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु ऋणी/अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत देवीलाल पुत्र उदय के नाम से ग्राम मालीपुरा में खसरा न0 400/225 स्थित प्लाट न0 14 ए सुदामा नगर, झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है,उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिलाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी इस बाबत पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक व पुलिस अधीक्षक,झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड